राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांकःएफ 1(2)ग्रावि / नरेगा / माद / 2010 /

जयपुर, दिनांक 30/6/10

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषयः– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में चल रहे कार्यों में टास्क / समय परिवर्तन करने बाबत।

प्रसंगः– विभागीय पत्र क्रमांक एफ.1(2)ग्रावि0 / नरेगा / मा.द. / 2010 / दिनांक 25.5.2010

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि अत्यधिक गर्मी के प्रभाव को देखते हुए एवं लू तथा तापघात से श्रमिकों को बचाने के दृष्टिकोण से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में चल रहे कार्यों पर श्रमिकों के कार्य समय को परिवर्तित करते हुए 30 जून तक अथवा मानसून आने तक, जैसी भी स्थिति हो, प्रातः 6 से 10 बजे तक निर्धारित किया गया था एवं श्रमिक द्वारा की जाने वाली टास्क में भी 50% की छूट दी गई थी।

राज्य में बदले हुए मौसम की स्थिति की समीक्षा हाल ही में राज्य सरकार द्वारा की गई। यह पाया गया कि जिलेवार वर्षा एवं अधिकतम तापमान की स्थिति में काफी भिन्नता है। मानसून का प्रवेश भी भिन्न भिन्न जिलों में अलग–अलग तिथियों में होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अतः राज्य सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में चल रहे कार्यो के वर्तमान कार्य समय में परिवर्तन एवं टास्क रेट में दी गई 20% की अतिरिक्त छूट को समाप्त करने के निर्णय हेतु जिला कलक्टर्स को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया है।

तद्नुसार सभी जिला कलक्टर्स निम्न दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी कर सकेंगे :–

1 अत्यधिक तापमान एवं लू की स्थिति कायम रहने पर– प्रासंगिक आदेश दिनांक 25.5.2010 अनुसार यथावत्।
किन्तु यह व्यवस्था अपवादस्वरूप ही होगी तथा अधिकतम 15 जुलाई तक ही लागू रखी जा सकेगी।

2 पूर्व की तुलना में तापमान / लू में राहत होने किन्तु मानसून न आने की स्थिति में–प्रातः 6 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक (एक घण्टे के मध्यान्ह विश्राम सहित)

3 जिले में मानसून के आगमन के पश्चात्–प्रातः 9 बजे से सायंकाल 6 बजे तक। (एक घण्टे के मध्यान्ह विश्राम सहित)

क्रम संख्या 2 एवं 3 के तहत आदेश जारी करने के साथ ही टास्क दर में प्रासंगिक आदेश द्वारा दी गई अतिरिक्त छूट स्वतः समाप्त हो जावेगी।

इस सम्बन्ध में जारी होने वाले आदेशों से इस विभाग को अविलम्ब अवगत कराया जावे।

भवदीय,

30/6/10

शासन सचिव एवं आयुक्त, नरेगा

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1.. निजी सचिव, ग्रामीण विकास मंत्री, राज0, जयपुर।
2. समस्त निजी सचिव, जिला प्रभारी मंत्रीगण।
3. आयुक्त, नरेगा, जयपुर।
4.. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास/वित्त/नगरीयविकास एवं आवासन, राज0, जयपुर।
5. समस्त निजी सचिव, जिला प्रभारी, सचिव।
6 समस्त सम्भागीय आयुक्त।
7. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राज0, जयपुर।

शासन उप सचिव एवं
परियोजना निदेशक नरेगा